



संदेश

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं !

14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को देश की 'राजभाषा' के रूप में स्वीकार किया था, इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में, जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ हैं; हिंदी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लोगों के बीच संवाद का एक मजबूत माध्यम है।

हिंदी केवल एक भाषा नहीं, अपितु हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक विरासत की वाहक है और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल और सुंदर माध्यम है। हिंदी हर भारतीय को एक सूत्र में बांधती है। यह भाषा हमें "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की ओर अग्रसर करती है।

हिंदी के जनमानस की भाषा होने के महत्व को समझते हुए आज वित्त मंत्रालय तथा इसके विभागों और उनके सम्बद्ध कार्यालयों ने वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के उपयोग को केवल नियमों तक सीमित न रखकर, वित्तीय समावेशन और ग्राहकों का भरोसा जीतने का मुख्य माध्यम बना दिया है। म्यूचुअल फंड, चक्रवृद्धि ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन जैसे वित्तीय तथ्यों को सहज हिंदी में समझाकर आम नागरिकों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। फोन पे, गूगल पे और भीम यूपीआई जैसे प्रमुख भुगतान ऐप्स भी आज हिंदी इंटरफेस की पूरी सुविधा दे रहे हैं, जिससे उपभोक्ता आसानी से बैलेंस चेक, मनी ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं।

आधुनिक वित्त के क्षेत्र में यह उल्लेखनीय है कि "उपभोक्ता की भाषा ही व्यापार की भाषा है।" हिंदी को अपनाकर वित्तीय क्षेत्र न केवल संवैधानिक दायित्व निभा रहा है, बल्कि भारत की एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षमता का भी अन्वेषण कर रहा है।

आइए, इस 'हिंदी दिवस' के अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे तथा राजभाषा के उत्थान में अपना सार्थक योगदान देंगे।


(पंकज चौधरी)